

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

मर्तिबत बनाम राज0 सरकार

मु0नं0-94/2023

किरम मुकदमा-प्रा0पत्र 128 एल.आर.ए.

पीठारसीन अधिकारी- यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
31.07.2024	<p>पत्रावली वारते निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 1401, 1402, 1403, 2891, 2894, वाके ग्राम सिकराय तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी भूमि है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। यह है कि पड़ौसी खातेदारान आये दिन मेडो को तोडकर अपने खेत में मिलाते रहते है जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने सैटलमेण्ट से सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय दौसा के पत्रांक 6460 दिनांक 22.09.2022 की पालना में दिनांक 18.05.2023 एवं भू प्रबंध अधिकारी अलवर के आदेश क्रमांक 796-799 दिनांक 31.05.2023 की पालना में दिनांक 04.07.2023 को सीमाज्ञान किया गया। प्रार्थी उक्त सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहते है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त सीमाज्ञान के दौरान अंकित किए गए चिन्हों पर पत्थरगढी कायम की जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं जवाब तहसीलदार सिकराय का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं जवाब स्टेट के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 1401, 1402, 1403, 2891, 2894 वाके ग्राम सिकराय तह0 सिकराय जिला दौसा में पत्थरगढी कायम करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है तहसीलदार सिकराय उक्त आदेशानुसार प्रार्थी की भूमि पर पत्थरगढी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। तहसीलदार सिकराय को पालना हेतु तहरीर जारी हो।</p> <p>निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 31.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	
	<p>उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)</p>	